फर्द अहकाम

न्यायालय मन्दिर व प्रकरण बनाम [illegible]

पत्रावली संख्या /वर्ष 01/2021 : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	हुक्म विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/5/24	पत्रावली [illegible] पी०ओ० समक्ष अन्[illegible] है। अतः पत्रा[illegible] 28/5/24 को पेश हो।	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण [illegible] प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] पत्रावली में [illegible] हेतु अवसर चाहा [illegible] की ओर से जवाब पूर्व में पेश [illegible] प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र को [illegible] बहस सम्पन्न [illegible] पत्रावली [illegible] हेतु नियत की जाती है [illegible] प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु [illegible] 10/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली बहस आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] [illegible] [illegible] पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:01:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 1/2021
निर्णय दिनांक : 10.06.2024

1. मन्दिर श्री लक्ष्मण जी विराजमान सांगानेर जरिये पुजारी ओमप्रकाश दत्तक पुत्र सत्यनारायण ओरस पुत्र रामेश्वर लाल पौत्र शंकरलाल जाति खण्डेलवाल ब्राह्मण निवासी सांगानेर जिला जयपुर।
2. पुजारी ओमप्रकाश दत्तक पुत्र श्री सत्यनारायण पौत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मन्दिर लक्ष्मण जी त्रिपोलिया गेट सांगानेर जयपुर।

——प्रार्थीगण

—— वनाम ——

1. हनुमान पुत्र नारायण
2. बाबूलाल पुत्र नारायण
3. मंगलराम पुत्र कल्याण
4. लालाराम पुत्र कल्याण
5. घासी पुत्र प्रताप
   समस्त जाति अहीर यादव निवासीयान ग्राम रामसिंहपुरा बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ शाखा मानसरोवर जरिये शाखा प्रवन्धक
7. बैंक ऑफ वडौदा शाखा होम्योपेथी यूनिवर्सिटी सायपुरा सांगानेर जयपुर जरिये शाखा प्रवन्धक।
8. पंजाव नेशनल बैंक शाखा सांगानेर जयपुर जरिये शाखा प्रवंधक
9. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर, जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया गया कि प्रार्थी नम्बर 1 माफी श्री मन्दिर लक्ष्मण जी विराजमान सांगानेर जिला जयपुर शाश्वत नाबालिग है एवं प्राथी नम्बर 2, प्रार्थी नम्बर 1 का पुजारी सेवक है प्रार्थी नम्बर 2 से पहले दत्तक पिता सत्यनारायण एवं उनसे पहले उनके पिता शंकरलाल जी पुजारी व सेवक की हैसियत से प्रार्थी नम्बर 1 मन्दिर की सेवा पूजा करते थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ग्राम रामसिंहपुरा बास पटवार हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खतौनी बन्दोबस्त संवत 2015 से 2034 के खाता संख्या 23 के साबिक खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व उक्त भूमि प्रार्थी नम्बर 1 की खुदकाश्त व माफी की भूमि दर्ज थी तथा जागीर पुर्नग्रहण के बाद उक्त खतौनी बन्दोबस्त के अनुसार प्रार्थी नम्बर 1 माफी मन्दिर श्री लक्ष्मण जी विराजमान सांगानेर पुजारी सत्यनारायण वल्द शंकर लाल कौम ब्राह्मण खण्डेलवाल साकिन सांगानेर उक्त माफी मन्दिर श्री लक्ष्मण जी के प्रार्थी हाल पुजारी ओमप्रकाश दत्तक पुत्र सत्यनारायण ओरस पुत्र रामेश्वर पुत्र सत्यनारायण पौत्र शंकरलाल के वशंज है। हाल खसरा नम्बर का अप्रार्थीगण द्वारा आपस में मिलीभगत कर बंटवारा करवाने के पश्चात और नये खसरा नम्बर 124/2, 125, 128, 129, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 317/124, 130, 131/1, 123, 124, 126, 127, 131, 173/267, 174/266, 121, 127/2, ,301/174 बनाये गये है। जिनकी खातेदार हाल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने अपने नाम करवा ली। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व बजमाने जागीर उक्त भूमि के तत्कालीन खसरा नम्बर 66, 67, 68, 69, 70 प्रार्थी संख्या 1 मन्दिर की खुदकाश्त व माफी दर्ज थी। जागीर पुर्नग्रहण के बाद खतौनी बन्दोबस्त पर्चा संवत 2015 से 2034 नम्बर 1 माफी मन्दिर श्री लक्ष्मण जी विराजमान सांगानेर पुजारी सत्यनारायण वल्द शंकर लाल कौम ब्राह्मण खण्डेलवाल साकिन सांगानेर दर्ज था उक्त माफी मन्दिर श्री लक्ष्मण जी के प्रार्थी हाल पुजारी/सेवल प्रार्थी ओमप्रकाश शर्मा के सत्यनारायण पूर्वज थे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय उक्त भूमि प्रार्थी नम्बर 1 की खुदकाश्त में थी तथा प्रार्थी नम्बर 1 शाश्वत नाबालिग है अतः इस भूमि में किसी अन्य व्यक्तियो को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रार्थी नम्बर 1 माफी मन्दिर श्री लक्ष्मण जी शाश्वत नाबालिग है एवं खुदकाश्त करने में असमर्थ है। अतः प्रार्थी नम्बर 1 मन्दिर की ओर से प्रार्थी नम्बर 2 के पूर्वजों के समय से उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज प्रताप वल्द बालू कौम अहीर से काश्त हेतु बताकर काश्त करवाते आ रहे थे। ताकि भूमि की उपज से मन्दिर की भोग पूजा का खर्च व अन्य उत्सवो का खर्च चलता रहे तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज की मृत्यु उनके वंशज प्रार्थीगण की इच्छा से बताये अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है तथा उपज प्रार्थीगण को बराबर देते आ रहे है। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी काश्त करवाते आ रहे है। ताकि मन्दिर की ओर से भूमि पर काश्त होती रहे एवं भूमि की उपज से मन्दिर का खर्च व चलता रहे। यह कि जयपुर में गत 20 साल बन्दोबस्त व खतौनी बन्दोबस्त संवत 2015 से 2034 के कॉलम संख्या 3 नाम पिता/पति का नाम, जाति व निवास स्थान में प्रार्थी का नाम माफी मन्दिर श्री लक्ष्मण जी विराजमान सांगानेर पुजारी सत्यनारायण वल्द शंकल लाल कौम ब्राह्मण खण्डेलवाल साकिन सांगानेर दर्ज है। लेकिन खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 5 में अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के पूर्वज प्रताप वल्द बालू कौम अही के नाम अंकित कर दिया जो अवैध इन्द्राज प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

होने के कारण पूर्णतः प्रभावशून्य है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने स्वंय के नाम प्रार्थी मन्दिर की भूमि की कब्जे व खातेदारी की भूमि का स्वंय के नाम होने का नाजायत फायदा उठाते हुये दिनांक 12/12/2020 को बाहुबल के आधार पर कब्जा कर लिया। जिस पर प्रार्थी संख्या 2 पुजारी कई मर्तबा कब्जा वापस प्रार्थी मन्दिर को संभलाने व दुरूस्ती के लिये कहा लेकिन दिनांक 18/12/2020 को अंतिम रूप से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया तथा उक्त भूमि की उपज देने से भी मना कर दिया। उपरोक्त वर्णित तथ्यो एवं परिस्थितियो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मजबूत प्रकरण एवं तुलनात्मक सुविधा का संतुलन है। अप्रार्थीगण अवैध राजस्व रिकार्ड की आड में उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण, किस्म परिवर्तन कर भूमि को खुर्द बुर्द करके अपने मनसूबो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण शाश्वत मन्दिर खातेदार को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति संभव नही हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर वाद के अंतिम निणत तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जावे कि मद नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी भूमि ग्राम रामसिंहपुरा बास पटवार हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के गत खसरा नं. 66 से 70 के हाल खसरा नम्बर 124/2, 125, 128, 129, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 317/124, 130, 131/1, 123, 124, 126, 127, 131, 173/267, 174/266, 121, 127/2, ,301/174 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर कृषि करने व उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे एवं भूमि के विशिष्ट भू भाग पर किसी प्रकार निर्माण कार्य न करे एवं भूमि की किस्म परिवर्तन न करे तथा न ही बेचान हस्तानान्तरण रहन, बय, मुन्तकिल, वसीयत आदि करे, जेडीए में सरेण्डर नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 9 को प्रतिबंधित किया जावे कि भूमि के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करे, तथा मौके व राजस्व रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खंडन करते हुए अंकित किया गया कि भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी सही रूप से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व व पश्चात अप्रार्थीगण के पूर्वज विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त रहे है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने की दिनांक को अप्रार्थीगण के पूर्वज प्रताप पुत्र बालू के विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त रहे तथा संवत 2015 के खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 3 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि खालसा दर्ज है तथा कृषक के नाम के स्थान अप्रार्थीगण के पूर्वज प्रताप पुत्र बालू का नाम अंकित है जिससे प्रथमदृष्टया साबित है कि विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज काबिज [illegible] रहे है तथा उनके देहांत के पश्चात अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। राज[illegible]श्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने की दिनांक को अप्रार्थीगण के पूर्वज [illegible] के विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त रहे तथा संवत 2015 के खतौनी [illegible] कॉलम संख्या 3 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि खालसा दर्ज है तथा कृषक के नाम स्थान अप्रार्थीगण के पूर्वज प्रताप पुत्र बालू का नाम अंकित है जिससे प्रथमदृष्टया साबित है कि विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज काबिज चले आ रहे है तथा उनके देहांत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

पश्चात अप्रार्थीगण करते चले आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने के समय उक्त खालसा रही है तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज प्रताप पुत्र बालू काबिज काश्त रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण किसी प्रकार की घोषणा करवाने तथा राजस्व अंकन को दुरूस्त करवाने तथा किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने मात्र वाद प्रस्तुत करने की गरज से उक्त मिथ्या कथन अंकित किये है। प्रार्थी संख्या 2 किसी मन्दिर का पुजारी नही है और ना ही प्रार्थी को कोई वादकारण किसी दिनांक को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण ना तो कोई प्रथमदृष्टया मामला है तथा ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। संवत 2015 से उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखो में अप्रार्थीगण के पूर्वजो व अप्रार्थीगण का नाम बतौर काश्तकार खातेदार अंकित है ऐसी अवस्था में विधि अनुसार उक्त भूमि पर प्रथमदृष्टया अप्रार्थीगण का ही विधिक व वास्तविक कब्जा माना जायेगा तथा प्रार्थीगण स्वंय ने बेदखली का अनुतोष चाहा है ऐसी अवस्था में भी साबित है कि विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अभिलेख काश्तकार व विधिक कब्जेघारी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है। संवत 2015 से उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखो में अप्रार्थीगण के पूर्वजो व अप्रार्थीगण का नाम बतौर काश्तकार खातेदार अंकित है ऐसी अवस्था में विधि अनुसार उक्त भूमि पर प्रथमदृष्टया अप्रार्थीगण का ही विधिक व वास्तविक कब्जा माना जायेगा तथा प्रार्थीगण स्वंय ने बेदखली का अनुतोष चाहा है ऐसी अवस्था में भी साबित है कि विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अभिलेख काश्तकार व विधिक कब्जेघारी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यदि अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया तो अप्रार्थीगण अपने स्वामित्व व काश्तकारी की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें तथा अप्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नही हो पायेगी।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय को मुख्यतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के 3 बिन्दुओ पर अपना मत जाहिर करना होता है। प्रथम दृष्टया मामला के सम्बंध में प्राथीगण के आवेदन व पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वे भू विवादग्रस्त को मन्दिर माफी की खुदकाश्त भूमि के रूप में होना जाहिर करते है। खुदकाश्त होने के संबध में संवत 2009 एवं संवत 2012 की राजस्व भू अभिलेखो की स्थिति का अवलोकन आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थीगण की ओर से संवत 2009 अथवा 2012 की स्थिति स्पष्ट करने हेतु किसी प्रकार का कोई अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नही किया गया है अपितु संवत 2015 से 2034 की खतौनी बंदोबस्त ही प्रस्तुत की गई है। खतौनी [illegible] से अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अभिलेख में भूमि धारक [illegible] अंकित है परन्तु काश्तकार के रूप में प्रताप पुत्र बालू कौम अहीर [illegible] अंकित है जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी है। जागीर उन्मूलन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात माफी समाप्त हो गई और काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:01:12 IST
Reason: SelfAttested

को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। इसी तरह प्रताप पुत्र बालू कौम अहीर का नाम भू अभिलेखो में निरंतर अंकित रहा और भूमि धारक में माफी मन्दिर लक्ष्मण जी के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित हो गया जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रताप पुत्र बालू कौम अहीर का नाम मन्दिर के स्थान पर अंकित नही किया गया जबकि उसका नाम पूर्वत कायम रहा। प्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे है कि उक्त भूमि मन्दिर लक्ष्मण जी की कभी भी खुदकाश्त के रूप में दर्ज रही हो ऐसी अवस्था में प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत यह है कि अभिलेखो में किसी प्रकार की त्रुटि नही रही एवं प्रताप पुत्र बालू का नाम पूर्वत अंकित रहा जिसके पश्चात उसके वंशजो का नाम अंकित किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है एवं प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के अधिकारो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति के सिद्धांत को दृष्टीगत रखा जावे तो भी यह स्पष्ट है कि प्रताप पुत्र बालू एवं उसके पश्चात अप्रार्थीगण का नाम विगत 60– 70 वर्ष से राजस्व भू अभिलेखो में खातेदार के रूप में अंकित है। प्रार्थीगण स्वंय आज दिनांक को अप्रार्थीगण का कब्जा भू विवादग्रस्त पर स्वीकार करते है। सुविधा के संतुलन को मध्य नजर रखते हुए काबिज खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। यदि खातेदार काश्तकार को उसके अधिकारो से रोकने हेतु किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाते है।

अतः पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.01.2021 निरस्त फरमाया जाते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:01:12 IST
Reason: SelfAttested